Preparation of panel for directors of CSS

4070. SHRI JAGDAMBI MANDAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the panel for Directors of Central Secretariat Service has not been prepared by Department of Personnel and Training Since 1996;

(b) if so, the steps taken by Government to finalise the panel and time by which it will be finalised;

(c) whether Government would make allotment of Ministries/Departments to empanelled officers without circulating their names to avoid further delay or fix a time for their postings after finalisation of panel; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI R. JANARTHANAM): (a) and (b) The panels for Directors of Central Secretariat service have been prepared since 1996. In the panel prepared in 1997, names of 15 officers were included, and in the panel prepared in 1998, names of 19 officers have been included.

(c) and (d) The post of Director comes within the purview of the Central Staffing Scheme. The scheme provides, inter-alia, that a panel of 3 names of officers shall be suggested for each vacancy, keeping in view the educational qualifications, service experience and special training required for effective performance of the job. Hence the CSS officers included in the Directors' Suitability List could be appointed as Directors by following the procedure laid down under the Central Staffing Scheme only.

ग्रुप "ए" में कुछ सेवाओं को शामिल करना

4071. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय दूर-संचार सेवा, भारतीय सांख्यिकीय सेवा, भारतीय प्रसारण अभियांत्रिकी सेवा और सात, भारतीय रेल सेवाओं को केन्द्रीय सेवाओं के ग्रुप "ए" में शामिल करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दनम): (क) और (ख) भारतीय दूर-संचार सेवा, भारतीय सांख्यिकीय सेवा, भारतीय प्रसारण-अभियांत्रिकी सेवा और सात, भारतीय रेल सेवाएं पहले से ही समूह "क" केन्द्रीय सेवाएं हैं।

प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा प्राप्त लोक शिकायतें

4072. **श्री नागमणि:**
श्री ईश दत्त यादव:
क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री कार्यालय को प्रतिमाह औसतन कितनी लोक शिकायतें प्राप्त होती हैं;

(ख) कितनी शिकायतों का निवारण किया गया है तथा कितनी शिकायतें अभी भी लंबित पड़ी हैं;

(ग) ये शिकायतें किस प्रकार की हैं;

(घ) क्या सरकार ब्लॉक और जिला स्तरों पर सार्वजनिक शिकायत निवारण मशीनरी स्थापित करने का विचार रखती है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रलय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दनम): (क) 01.01.1998 से 30.6.1998 तक की अवधि के दौरान प्रधान मंत्री के कार्यालय में प्रत्येक माह औसतन 8929 लोक-शिकायतें प्राप्त हुई।

(ख) प्राप्त हुई सभी शिकायतों की किसी भी अपवाद के बिना जांच-पड़ताल की जाती है तथा उन्हें उपर्युक्त कार्रवाई हेतु संबंधित प्राधिकारियों को भेज दिया जाता है।

(ग) ये लोक-शिकायतें, मुख्यत:, बेरोज़गारी, अपर्याप्त अथवा घटिया नागरिक-सुविधाओं, वित्तीय सहायता, कानून एवं व्यवस्था आदि संबंधित होती हैं।

(घ) और (ड.) राज्य, ब्लॉक और ज़िले के स्तर की शिकायतों की जाँच-पड़ताल और उनका निवारण, बुनियादी तौर पर राज्य-सरकारों द्वारा किया जाना अपेक्षित होता है। सभी स्तरों पर राज्य, ज़िले, ब्लॉक तथा तालुक के स्तर पर उपयुक्त लोक-शिकायत-निवारण तंत्र स्थापित किए जाने का सुझाव देते हुए सभी राज्य सरकारों को इस बारे में पत्र जारी कर दिए गए हैं। अलग-अलग राज्य-सरकारों ने विभिन्न स्तरों पर भिन्न-भिन्न प्रकार के शिकायत-निवारण तंत्र स्थापित किए हैं।